



Hkkj rh; i k&+ f' k{kk I ?k

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरन्तर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है। डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है।

संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र-पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। संघ, नेशनल इन्फार्मेटिक सेण्टर इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर द्वारा प्रायोजित डेलनेट से भी सम्बद्ध है। संघ द्वारा अभी हाल में प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाइफलॉग एजुकेशन) की स्थापना भी कर दी गई है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशनस' एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक ब्यूरो आफ एडल्ट एजुकेशन' एवं 'इण्टरनेशनल काँसिल आफ एडल्ट एजुकेशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

Hkkj rh; i k&+ f' k{kk I ?k

17-वी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110002

दूरभाष: 011-23379282, 23378436, 23379306

फैक्स: 011-23378206, ई-मेल: proudhshiksha@gmail.com

directoriatea@gmail.com

website: www.iaea-india.org; www.iale.org

i kS +

bl vad ea

f' k{kk

višy 2011
o"l 55 vad&9

I Eiknd e.My

प्रो. भवानीशंकर गर्ग

ए.एच.खान
डा. एल. राजा
डा. मदन सिंह
ए. एल. भार्गव
इन्दिरा पुरोहित
दुर्लभ चेतिया
मृणाल पंत
के.आर. सुशीले गौडा
प्रफुल्ल नागर

I gk; d I Eiknd
बी. संजय

I Eikndh;	2
Ckk; kekI Å tkz ds mi ; kx dks c<ko	4
	—एन एस त्यागी —एम पी सिंह —ए ए अंसारी
jk"Vh; Kku ušvodz	10
fcgkj ea I k{kjrk dh pukkfr; k; , oa funku dh j. kuhfr	15
	—योगेन्द्र लाल दास
oš' od pukkfrh cuke fganh Hkk"kh j kT;	21
	—पी एन सिंह
[k. Mok ftys ds I oš' k{k k vfhk; ku dk; Øe dk i kFkfed d{k ds fo kFkz; ka dh ukekadu of) i j i Hkko dk v/; ; u	24
	—हंसराज पाल —मोहन ठाकुर
ftI dh ryk'k Fkh xkø dks	35
	—रामशंकर चंचल
?kk'sk. kk	36
Ensuring Sustainable Drinking Water Security in Rural Areas	37

मूल्य: 100 रुपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

प्रासंगिक हैं जन आन्दोलन के गांधीवादी हथियार

बीती हुई बातें इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं और इतिहास की सभी बातें न हम याद रख सकते हैं और न ही ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है। पर कुछ बातें इतिहास को जीवन्त बनाती हैं जिन्हें हम याद भी रखते हैं और भावी पीढ़ी तक पहुंचाना भी चाहते हैं। हम या हमारी भावी पीढ़ियां अपनी ही खुशी के लिए, स्वयं की प्रेरणा के लिए और कई बार तो अपने वजूद को पुख्ता आधार प्रदान करने के लिए इन बातों को याद रखती हैं, संजोती हैं।

अप्रैल 2011 की कुछ बातें हमें और हमारी आगामी पीढ़ियों को लम्बे अरसे तक याद रहेंगी। सन् 1983 के 28 वर्षों बाद 2 अप्रैल 2011 को भारत दूसरी बार क्रिकेट का विश्व कप जीतने में सफल रहा। खेल जगत का यह खिताब जीवन के विविध क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर स्वयं को मुखरित करने में सम्पूर्ण देश के लिए मददगार साबित हो रहा है। इसी माह में राष्ट्रीय जनगणना 2011 का प्रोविजनल डाटा देश के सम्मुख रखा गया है। ये आंकड़े विकास के तमाम पहलुओं पर पिछले दस सालों में हुई प्रगति का एक प्रकार से लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं। प्रोविजनल आंकड़ों के इस दस्तावेज ने कई तथ्यों को उजागर किया है। एक ओर लिंग अनुपात जो सन् 2001 में 933 था अब बढ़कर 940 हो गया है, साक्षरता दर जो सन् 2001 में 64.83 प्रतिशत थी अब वह 74.04 प्रतिशत है। वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाला तथ्य यह है कि तमाम वादों और कोशिशों के बावजूद 0-6 आयुवर्ग के बच्चों का लिंग अनुपात सन् 1971 के बाद से सबसे कम अर्थात् सन् 2011 में घटकर महज 914 रह गया है जो सन् 1971 में 964 था। यदि लिंग अनुपात और साक्षरता दर में बढ़ोतरी सुखद अहसास उत्पन्न करते हैं तो 0-6 आयुवर्ग का लिंग अनुपात प्रत्यक्ष तौर पर सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों की उपलब्धियों पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है।

अप्रैल के महीने में हुई तीसरी उल्लेखनीय घटना 9 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा लोकपाल बिल के ड्राफ्टिंग के लिए घोषित अध्यादेश है। गौरतलब है कि गत 5 अप्रैल को भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु लोकपाल बिल ड्राफ्टिंग में जनता की भागीदारी की मांग करते हुए प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे आमरण अनशन पर बैठे। लोकपाल बिल की मांग इस देश में नई नहीं है। सन् 1963 से लेकर अब

तक न जाने कितनी बार इसके होने को लेकर बहस छिड़ी है, इसे सदन के पटल पर रखा गया है और यह पारित होते-होते कभी भी पारित नहीं हो पाया है। पिछले दिनों जिस स्वरूप में इसे सदन के पटल पर रखने की कोशिश हुई है उस स्वरूप में आम जनता की आस्था नहीं है। जनता और गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत उसके प्रतिनिधियों को लगता रहा है कि मौजूदा स्वरूप में इसे पारित कर देने पर भी भ्रष्टाचार रोकने में कोई विशेष मदद नहीं मिलेगी। इसलिए जनता स्वयं की सहभागिता से लोकपाल बिल को नया स्वरूप प्रदान करना चाहती है और यह भी चाहती है कि यदि लोकपाल बिल पारित हो तो वह जन लोकपाल बिल के रूप में पारित हो।

समाजसेवी अन्ना हजारे को एक ओर जहां राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी का समर्थन प्राप्त था वहीं इसे देश के हर कोने से जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्यरत बुद्धिजीवियों, कलाकारों, युवाओं यहां तक की बच्चों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। परिणाम यह हुआ कि मौजूदा सरकार ने इसे सही दिशा में लेते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में एक दस सदस्यीय संयुक्त ड्राफ्टिंग समिति की घोषणा की। समिति में सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों सहित जनता के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से देखा जाय तो यह एक बड़ी उपलब्धि है जो आने वाले वर्षों में जनता को इस हेतु प्रेरित करेगी कि वह भारतीय लोकतंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने तथा जन सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते चलते हुए प्रभावी जन आन्दोलन संचालित करे। यूं तो परिवर्तन के लिए गांधी द्वारा अपनाये गए तरीकों की प्रासंगिकता पर कई लोग हमेशा चुटकी लेने को तैयार रहते हैं। पर अन्ना हजारे सहित देश की तमाम जनता की भागीदारी से अपने मुकाम पर पहुंचा यह आन्दोलन निश्चित ही गांधी और जन आन्दोलन के लिए अपनाए गए उनके हथियारों पर विश्वास उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगा। उम्मीद यह भी की जा सकती है कि देश के मुख्य धारा से अलग हो गए लोग जो उग्र तरीकों से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, वे भी गांधीवादी हथियारों को अपनाकर अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करेंगे और सहजता के साथ मुख्य धारा में शामिल भी हो सकेंगे।

बी.संजय



बायोमास ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा

, u , l R; kxh
, e i h fl g
, , vd kjh

भारत में बढ़ती जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा और मकान) तथा अन्य सभी प्रकार की सुख-सुविधाओं के साधन उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक विकास एवं कृषि विकास दोनों ही अपरिहार्य हैं। विकास कार्यों के संचालन में ऊर्जा की खपत बढ़ेगी ही, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ेगा। चूंकि भारत एक विकासशील देश है और सन् 2020 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयत्नशील है अतः विकास के रथ को न तो रोका जा सकता है और न ही धीमा किया जा सकता है। अब तो विकास की गति बनाये रखने कि आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है अपारम्पारिक ऊर्जा की जो पर्यावरण सहयोगी हो। अनुसंधानों एवं अनुभवों से सिद्ध हो चुका है कि भौतिक विकास के लिए पर्यावरण की उपेक्षा बारुद के ढेर पर महल खड़ा करने के समान है। भारत में विकास की योजनाएं बनाते समय यदि ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण को आधार बनाया जायेगा तो विकास सबके लिए कल्याणकारी और दीर्घजीवी होगा।

औद्योगिक विकास के लिए बनाये गये कारखाने वायुमंडल में विषैला धुआँ तथा नदियों में विषाक्त कचरा निरन्तर बहा रहे हैं। विकास को गतिमान बनाने के लिए सड़कों पर दौड़ते असंख्य पेट्रोल- डीजल वाहन वातावरण को दमघोटू व कानफोडू बना रहे हैं। कृषि उपज बढ़ाने के लालच में फसलों में प्रयुक्त असन्तुलित रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के कारण मृदा, जल और खाद्यान्न प्रदूषित हो रहे हैं, जीवनधारियों में बीमारियां बढ़ रही हैं और भूमि की उर्वराशक्ति नष्ट होती जा रही है। वनों के अवैध कटान से धरती नंगी हो रही है, मौसमचक्र बिगड़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जलसंकट पैदा हो गया है और प्राकृतिक आपदाएं प्राणीजगत के अस्तित्व को समाप्त करने पर तुली हैं। परमाणु ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से रेडियोधर्मी विकिरण जीवन के लिए घातक बन गया है। उद्योगों व मोटर वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से निकली सल्फर डाई आक्साइड तथा नाइट्रोजन आक्साइड गैसों वायुमंडल में पहुँचकर जलवाष्प के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में बदल जाती हैं तथा वर्षा के समय बूदों में घूलकर पृथ्वी पर अम्लवर्षा करती हैं। ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता से बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग और उससे पिघलते ग्लेशियर के कारण दुनिया के कई देशों के बहुत बड़े समुद्र तटीय भूभाग

के जल मग्न हो जाने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ओजोन की परत में छिद्र के कारण प्राणीजगत के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है।

भारतीय संस्कृति में प्रकृति को परमेश्वर की शक्ति के रूप में माना गया है पर इस बात को हम भूल गये हैं और पाश्चात्य जगत की भांति प्रकृति को निर्जीव तथा मनुष्य के उपभोग की वस्तु मानकर औद्योगिक विकास की होड़ में इसका असीमित और असन्तुलित दोहन करते-करते आज हमने अपने ही सामने प्रदूषण और ऊर्जा संकट का विकराल रूप पैदा कर लिया है।

Ek; ksekI ÅtkZ % , d lk; kbj .kfe= oSdfYi d ÅtkZ l kr

पारम्परिक ऊर्जा स्रोत यथा लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम गैस की घटती उपलब्धता, बढ़ती कीमत और बिगड़ता पर्यावरण मनुष्य को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज, विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं उपयोग पर सोचने के लिए विवश किये हुए हैं। बायोमास (जैविक द्रव्य) वैकल्पिक ऊर्जा का एक सुलभ और सस्ता स्रोत है। सभी प्रकार के जीवित अथवा मृत पादपीय एवं प्राणी-स्रोतों से प्राप्त द्रव्यों को बायोमास कहा जाता है। इसके अलावा सभी प्रकार के अवशिष्ट एवं अवशेष चाहे वे सुअर बाड़े से निकले हों, चाहे गौशाला से, चाहे कसाई बाड़ों से, चाहे फल-सब्जी मण्डी से सभी बायोमास की श्रेणी में आते हैं। नगर क्षेत्रों से निकले विभिन्न अवशिष्टों (मल, कूड़ा-कचरा आदि) में भी बायोमास की काफी मात्रा रहती है।

जलावनी लकड़ी, फसलों के अवशेष व पशुमल के रूप में प्राप्त बायोमास विश्व की आधी जनसंख्या की ईंधन की आवश्यकता को पूरा करता है। तीसरी दुनिया के देशों के ग्रामीण अपनी ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकता बायोमास से ही पूरा करते हैं। एक आंकलन के अनुसार विकासशील देशों की 40 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता बायोमास से ही पूरी होती है। इथोपिया, नेपाल एवं तंजानिया जैसे देशों में तो सम्पूर्ण ऊर्जा आवश्यकता का 90 प्रतिशत भाग बायोमास से ही प्राप्त होता है। बायोमास ही धनी एवं विकसित देशों में भी ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बायोमास एवं नाभिकीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा लगभग बराबर (4-5 प्रतिशत) है। कुछ विकसित देशों में ऊर्जा स्रोतों के रूप में बायोमास का योगदान और भी ज्यादा है। कनाडा एवं स्वीडन में क्रमशः 8 व 10 प्रतिशत ऊर्जा लकड़ी एवं लकड़ी के अवशेषों से प्राप्त होती है।

विकसित एवं विकासशील सभी देशों में दहन द्वारा ही बायोमास से ऊर्जा प्राप्त की जाती

है। बायोमास को और अच्छे ईंधन में भी बदला जा सकता है जैसे इथेनोल, बायोडीजल तथा बायोगैस। बायोमास से व्यापक पैमाने पर वैकल्पिक ईंधन प्राप्त करने के लिए व्यापक क्षेत्र में बायोमास पौध रोपण आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप इथेनोल का उत्पादन फसल की पैदावार द्वारा किया जा सकता है। सनफलावर, रेपसीड, फलैक्स, पाम, कोकोनट, सोयाबीन, जट्रोफा, कंरज, महुआ आदि के तेल की पैदावार बढ़ाकर बायोडीजल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पशुओं की संख्या बढ़ाकर पशुमल से बायोगैस का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।

बायोमास ऊर्जा के द्वारा देश को ऊर्जा संकट से तो उबारा ही जा सकता है साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से भी छुटकारा मिल सकता है। स्वचालित वाहनों में पेट्रोलियम ईंधनों के दहन से निकले रसायन वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। बायोमास ईंधन—इथेनोल, बायोडीजल और बायोगैस का दहन वायुमण्डल व पर्यावरण को स्वच्छ रखने और भूमण्डलीय गरमी में वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग)को रोकने में सहायक हैं।

Hkj r rFkk vU; ns' kka esa ck; kxkl Åtkl dk orZeku , oa Hkfo";

विभिन्न कृषि जलवायु की परिस्थितियों वाले इस देश में अनेकानेक प्रकार के बायोमास उपलब्ध हैं। यह कहा जा सकता है कि यहाँ बायोमास ऊर्जा का ऐसा विशाल उद्गम है जो कभी समाप्त नहीं होगा। बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कई तकनीक काम में लायी जाती है जैसे बायोमास से गैस बनाकर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करना, परिवहन ईंधन के रूप में इथेनोल का उत्पादन करना, बिजली प्राप्त करना और किण्वन द्वारा बायोगैस प्राप्त करना। बायोगैस प्राप्त करने के लिए नारियल की जटा, मक्का की गुल्लियाँ, धान की पुआल, गोहूँ का भूसा, कपास के डंठल आदि काम में लाये जाते हैं। जहाँ लकड़ी आसानी से उपलब्ध है वहाँ लकड़ी से गैस बनाने की अच्छी सम्भावना रहती है और इससे बहुत कम मूल्य पर बिजली प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न कारणों से आज भी भारत के गाँवों में ईंधन की 80 प्रतिशत जरूरतें उपलब्ध, लकड़ी तथा कृषि जलावन से पूरी होती है।

भारत में बायोमास का भरपूर भण्डार है पर अभी भी यहाँ उपलब्ध बायोमास का ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसे व्यर्थ समझकर फेंक दिया जाता है अथवा जला दिया जाता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार पंजाब के किसान प्रतिवर्ष 50 लाख टन धान की पुआल व भूसा खेतों में जला देते हैं। यदि

इसका उपयोग बायोमास ऊर्जा उत्पादन में किया जाये तो इसका लाभ विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इससे किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लकड़ी के लिए जंगल की कटाई रुकेगी, जंगल बचेगा व बढ़ेगा तो पर्यावरण प्रदूषण दूर होगा, देश का ऊर्जा संकट कम होगा, तेल की खपत घटेगी और तेल के आयात पर खर्च की जाने वाली मुद्रा की बचत होगी। यह दुखद बात है कि हम इस क्षेत्र में आशातीत सफलता अर्जित नहीं कर पाए हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध बायोमास की मात्रा 20 करोड़ टन प्रति वर्ष है।

इथेनोल मिश्रित पेट्रोल ईंधन (गैसोहॉल) को पूरे विश्व में मान्यता मिल चुकी है। इससे पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। भारत एक प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है अतः यहाँ सरकार ने देश के नौ राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडू) और चार केन्द्र शासित प्रदेशों (चंडीगढ़, पाण्डिचेरी, दमन-दीव, दादरा-नगर-हवेली) में जनवरी 2003 से पेट्रोल में 5 प्रतिशत इथेनोल मिश्रित करके बिक्री अनिवार्य की हुई है और इसे जल्दी ही 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना है। सरकार बायोडीजल का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को पूरा-पूरा सहयोग दे रही है। भारतीय रेलवे और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आई.ओ.सी.) तथा कुछ निजी कम्पनियाँ बायोडीजल उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है अतः- कृषि कचरा-घास, फूस, पत्तियाँ, गन्ने की खोई, गेहूँ का भूसा, धान की पुआल, फसलों की जड़े, सब्जियों की पत्तियाँ व छिलके तथा पशुओं के गोबर से भारी मात्रा में बायोगैस उत्पादन किया जा सकता है। सड़ी-गली सब्जियाँ और मानव मल-मूत्र द्वारा प्राप्त बायोगैस को उच्च दाब पर सिलेन्डरों में भर कर सी.एन.जी. एवं एल.पी.जी. की भांति वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग करना आर्थिक दृष्टि तथा ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए लाभकारी रहेगा।

जैव ईंधन उद्योग सभी यूरोपीय देशों में एक बड़े उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। यूरोप में लगभग 5 लाख ऑटोमैटिक बायोफ्यूल सिस्टम हैं। जैव ईंधन के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आयेगी और साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।

“वुड एनर्जी कम्पनी” जंगल से प्राप्त वुडचिप्स से ऊर्जा प्राप्त करने का ऐसा सिस्टम बना रही है जो 5 किलोवाट से 14 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस सिस्टम में जीवाश्म ईंधन के बजाय कार्बन डाईआक्साइड न्यूटरल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। अभी पाँच जैव ईंधन शक्ति केन्द्र (बायोफ्यूल एनर्जी सेन्टर) कार्य कर रहे हैं जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 106 मेगावाट है।

पेट्रोल में इथेनोल मिलाकर (गैसोहॉल) अन्तर्दहन इंजनों में इस्तेमाल को पूरी दुनिया में

मान्यता मिल रही है। इथेनोल बनाने के लिए गन्ना, चुकन्दर, लकड़ी, मक्का, ज्वार व अन्य जैविक कचरा (गन्ने की खोई, पत्ती, गेहूँ का भूसा, धान की पुआल, पेड़ों की पत्तियाँ, फसलों की जड़ें, सब्जियों के छिलके आदि बायोमास) का इस्तेमाल किया जाता है। इथेनोल के उत्पादन और उपयोग में ब्राजील का स्थान सर्वोपरी है। ब्राजील विश्व का एक प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है, वहाँ पिछले कई वर्षों से इथेनोल मिश्रित पेट्रोल (गैसोहॉल) का इस्तेमाल सफलता पूर्वक किया जा रहा है। वहाँ अब 24 प्रतिशत इथेनोल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया और थाईलैन्ड में पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनोल मिलाया जा रहा है। हाल ही में चीन में भी इथेनोल का उत्पादन व उपयोग बड़े पैमाने पर करने की योजना तय की गई है। इसी प्रकार डीजल की खपत घटाने के लिए अमेरिका, यूरोप, मलेशिया और मैक्सिको में बायोडीजल का खूब उपयोग किया जा रहा है। रतनजोत (जट्रोफा), अरंड, करंज, सूरजमुखी, नारियल, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, बिनौला, ताड़ आदि वनस्पति तेलों से बायोडीजल बनाया जा रहा है। इस समय जट्रोफा का तेल ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।

मि | ग्ज

पूरे भारत में उपलब्ध बायोमास की प्रचुर मात्रा का यदि ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जाये तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम तेल व गैस तथा बिजली पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। दुनिया को विनाश की ओर धकेलता पर्यावरण प्रदूषण और बढ़ता ऊर्जा संकट का एकमात्र हल वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन ही है। चूंकी भारत में बायोमास का प्रचुर भण्डार ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और सुलभ संसाधन है, अतः सरकार द्वारा बायोमास ऊर्जा विकास को खूब बढ़ावा देना चाहिए। बायोमास कृषि जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में हो, प्रारम्भ करनी चाहिए और किसानों व ग्रामीणों से उचित मूल्य पर बायोमास खरीदकर उससे गैस, तरल ईंधन, ठोस ईंधन और बिजली उत्पन्न करनी चाहिए। निजी कम्पनियों को सब्सिडी देकर व टैक्स की छूट देकर बायोमास ऊर्जा उत्पादन के प्लान्ट लगाने के लिए प्रेरित-प्रोत्साहित करना चाहिए। किसानों को उन्नत बीज, उत्तम रगद व कीटनाशक तथा निःशुल्क प्रशिक्षण देकर गन्ना, चुकन्दर, जट्रोफा (रतनजोत) करंज, गेहूँ, मक्का, धान, पत्तियों वाली फसलों की खूब पैदावार वाली खेती करानी होगी और उनसे उचित मूल्य पर उपयोगी बायोमास खरीदना होगा। यदि किसानों को सहयोग, प्रोत्साहन और लाभ मिलेगा तो वह बायोमास की इतनी पैदावार कर देगा कि देश में बायोमास ऊर्जा उत्पादन प्लान्ट अपनी पूरी क्षमता से बायोगैस, इथेनोल, बायोडीजल, बिजली उत्पादन कर सकेंगे। सरकार

पशु पालन को बढ़ावा दे और गोबर की अधिकतम मात्रा को गोबर गैस बनाने में इस्तेमाल किया जाये, गोबर के साथ मानव मल-मूत्र, जैविक कचरा (बायोमास) भी गैस बनाने में इस्तेमाल होने लगे तो भारत में ऊर्जा संकट कम होगा, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, तूल, व गैस तथा बिजली पर निर्भरता घटेगी, पर्यावरण में सुधार होगा, रोजगार बढ़ेंगे, किसान-मजदूर खुशहाल होंगे और देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस प्रकार का विकास स्थाई होगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह में मील का पत्थर सिद्ध होगा।



राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) सीमाओं से रहित ज्ञान आधारित समाज बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। पांच फरवरी को एनकेएन की वेबसाइट और लोगो जारी होते ही एनकेएन के द्वार पूरे समुदाय के लिए खुल गए। इससे ज्ञान आधारित समुदाय और समस्त मानवजाति को अभूतपूर्व लाभ होगा। इस ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य आवश्यक शोध सुविधाओं वाले गुणवत्तापूर्ण संस्थान बनाना तथा उच्च प्रशिक्षणप्राप्त पेशेवरों का समूह तैयार करना है, जो देश की कोशिश का महत्वपूर्ण अंग है। एनकेएन अत्याधुनिक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। यह भारत की सूचना संरचना के विकास को सुगम बनाएगा, अनुसंधान में तेजी लाएगा और अगली पीढ़ी के एप्लीकेशंस और सेवाएं तैयार करेगा। एनकेएन की परिकल्पना उच्च उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण सेवा, सुरक्षा और विश्वसनीयता उपलब्ध कराने के लिए की गई है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) योजना का लक्ष्य सशक्त और सुदृढ़ आंतरिक भारतीय नेटवर्क स्थापित करना है, जो सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी में सक्षम होगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल कृषि और शासन से सम्बद्ध सभी हितधारकों को समान मंच पर लाएगा।

एनकेएन का विज्ञान और उत्साह के साथ इस्तेमाल करते हुए सभी ऊर्जावान संस्थान सूचना और ज्ञान तक पहुंच बनाने के लिए स्थान और समय की सीमाओं को पार करने में सक्षम होंगे और अपने तथा समाज के लिए इससे जुड़े लाभ हासिल कर सकेंगे। एनकेएन का मकसद हाई बैंडविड्थ/लो बैटरी नेटवर्क के साथ देश के समस्त ज्ञान और शोध संस्थानों को जोड़ना है।

वैश्विक स्तर पर प्रमुख शोध एवं नवरचना, बहुविषयी और सहयोगपूर्ण परिप्रेक्ष्य का रुख कर रहे हैं और इनके लिए महत्वपूर्ण संचार एवं संगणना क्षमता की जरूरत पड़ती है। भारत में, एनकेएन का लक्ष्य इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में बदलाव के लिए अपनी मल्टी-गीगाबाइट क्षमता के साथ देशभर के सभी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, स्वास्थ्य की देखभाल और कृषि से सम्बद्ध संस्थानों को आपस में जोड़ना है। परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान क्षेत्रों की प्रमुख मिशन आधारित एजेंसियां भी एनकेएन का अंग हैं। सूचना और जानकारी का प्रवाह संभव बनाते हुए, नेटवर्क पहुंच (एक्सेस) के महत्वपूर्ण मसले का हल करता है और शोध से सम्बद्ध देश के प्रयासों को समृद्ध करने के लिए सहयोग का नया परिप्रेक्ष्य तैयार करता है। नेटवर्क की परिकल्पना सकारात्मक रुख आधारित है जिसमें भविष्य की जरूरतों तथा ऐसी नई संभावनाओं को ध्यान में रखा गया है जो

अवसंरचना में इस्तेमाल और समाविष्ट लाभ के आधार पर पनप सकती हैं। इससे ज्ञान क्रांति आएगी, जो समाज में परिवर्तन का वाहक और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगी।

i "Bhkf e

एनकेएन की स्थापना की योजना पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) में विशेषज्ञों, संभावित यूजर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों सहित मुख्य हितधारकों के साथ सहयोगपूर्ण अनुबंध के बाद, विचार-विमर्श किया गया और फिर उसे अंतिम रूप दिया गया। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप एक ऐसा नेटवर्क तैयार करने के उत्कृष्ट दृष्टिकोण पर सर्वसम्मति बनसकी, जो सभी क्षेत्रों के लिए एकीकृत आधार बन सके।

भारत सरकार ने एनकेएन की स्थापना के लिए भारत सरकार के पीएसए की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का चयन एनकेएन की अनुपालन एजेंसी के रूप में किया गया। एनकेएन का विज्ञान एचएलसी द्वारा गठित प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा गई कार्य योजना में परिलक्षित हुआ।

कैबिनेट ने 5990 करोड़ रुपये की लागत वाले एनकेएन को मार्च 2010 में मंजूरी दी। एनकेएन का शुरुआती चरण (एनआईसी) द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किए जाने का संकेत है।

eq[; fcng

एनकेएन की संरचना की परिकल्पना विश्वसनीयता, उपलब्धता और मापनीय के लिए की गई है। इस नेटवर्क में अल्ट्रा-हाई स्पीड कोर है जो मल्टीपल 2.5/10 जी से शुरु होता है और 40/100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड (जीबीपीएस) तक जाता है। इस कोर के साथ डिस्टीब्यूशन लेयर है, जो सभी जिलों को समुचित गति से कवर करती है।

दूसरे छोर पर भागीदार संस्थान एनकेएन की बंदौलत बिना किसी रुकावट के एनकेएन के साथ गीगाबाइट स्पीड से जुड़ सकेगा। एनकेएन, ज्ञान आधारित समाज विकसित करने के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना हो सकता है। एनकेएन एक महत्वपूर्ण कदम है जो देशभर के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को महत्वपूर्ण एवं उभरते क्षेत्रों में मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम बनाएगा – हाई-स्पीड बैकबोन कनेक्टिविटी की स्थापना करना, जो ज्ञान और सूचना के आदान-प्रदान में सक्षम बनाए। सहयोगपूर्ण अनुसंधान, विकास और नवरचना संभव बनाना। अभियांत्रिकी, विज्ञान, चिकित्सा आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च दूरस्थ शिक्षा में सहयोग करना। इ-गवर्नेंस के

लिए अल्ट्रा-हाई स्पीड बैकबोन सुगम बनाना। अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाणिज्य एवं प्रशासन के क्षेत्र में विभिन्न वर्गीय नेटवर्क्स का एकीकरण सम्भव बनाना।

duDVhf0kVh

नेटवर्क के बैकबोन की शुरुआत 2.5 जीबीपीएस से है और भारत भर में 7 सुपरकोर स्थानों (पूरी तरह परस्पर संबद्ध) के बीच उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 10 जीबीपीएस कनेक्टीविटी पर है। यह नेटवर्क आगे विविध 2.5/10 जीबीपीएस के साथ 26 मुख्य स्थानों पर आंशिक तौर पर पास्परिक संबद्ध कनेक्टीविटी के साथ सुपरकोर स्थानों पर फैला है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पूरे देश को 2.5/10 जीबीपीएस की स्पीड के विविध लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए नेटवर्क के मुख्य हिस्से से जोड़ती है। उपभोक्ताओं को 1 जीबीपीएस की स्पीड से कनेक्ट किया जा रहा है।

नेटवर्क की संरचना और प्रशासन की संरचना यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ कनेक्ट होने के भी विकल्प देती है। एनकेएन विशेष महत्व वाले समूहों के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स (वीपीएन) की रचना भी संभव बनाता है। एनकेएन वैश्विक सहयोगपूर्ण अनुसंधान के लिए यूजर्स को अंतराष्ट्रीय कनेक्टीविटी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में एनकेएन ट्रांस यूरोशिया इं.फार्मेशन नेटवर्क (टीईआईएन 3) के साथ जुड़ा हुआ है। ग्लोबल रिंग नेटवर्क फॉर एडवांस एप्लीकेशंस डेवलपमेंट (जीएनओआरआईएडी) के साथ भी इसी तरह की कनेक्टीविटी बनाने की योजना है।

, lyhds' ka

ns' k0; ki h opavy Dykl #e

एनकेएन प्रभावशाली दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का एक ऐसा मंच है जहां शिक्षक और छात्र कंप्यूटर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। भारत जैसे देश में यह खासतौर पर महत्वपूर्ण है जहां भौगोलिक, बुनियाद ढांचे की कमी आदि जैसे कारणों की वजह से शिक्षा तक पहुंच सीमित है। यह नेटवर्क विभिन्न संस्थानों के बीच सूचना मसलन कक्षाओं के व्याख्यानों, प्रस्तुतियों और हैंडआउट्स के आदान-प्रदान में सक्षम बनाता है।

Lkg; ksxi w kZ vud' kku

एनकेएन जीएलओआरआईएडी, टीईआईएन3, जीएआरयूडीए, सीईआरएन जैसी विभिन्न इकाइयों के अनुसंधानकर्ताओं के बीच सहयोग संभव बनता है।

oply ykbcjh

वर्चुअल लाइब्रेरी में विभिन्न संस्थानों में पत्रिकाओं, पुस्तकों और शोध पत्रों के आदान-प्रदान होता है। एनकेएन के लिए यह स्वाभाविक एप्लीकेशन है।

I x.kuk I d k/kuk d k vknku&i nku

राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादकता और विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में आगे बढ़ने के लिए तेज गति से संगणना महत्वपूर्ण हैं। नेटवर्क बड़ी तादाद में संस्थानों को मौसम की निगरानी, भूकम्प अभियांत्रिकी और कुप्यूटर के इस्तेमाल वाले अन्य अहम क्षुत्रों को उच्च अनुसंधान के लिए सक्षम बनाता है।

fxM dl; fVx

एनकेएन में हाई बैंडविड्थ को लो लेटेंसी के साथ संचालित करने और ग्रिड कंप्यूटिंग के आवरण का प्रावधान करने की क्षमता हामती है। जलवायु परिवर्तन / धरती का बढ़ता तापमान, लार्ज हैड्रॉन कोलिडर (एलएचसी) और आईटीई आर जैसी विज्ञान परियोजनाएं कुछ ग्रिड आधारित एप्लीकेशंस हैं। एनकेएन ऐसी बहुत से नवीन एप्लीकेशंस को समझने का मंच हो समता है। गरुड ग्रिड ने एनकेएन में जाकर अपनी क्षमता और स्थिरता बढ़ाई है।

us/odZ VDUkWyksth VLV cM

एनकेएन सेवाओं को उत्पादन नेटवर्क को उपलब्ध कराने से पहले उनके परीक्षण और वैधता के लिए टेस्ट बैड (परीक्षण मंच) मुहैया कराता है। एनकेएन नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के परीक्षण, विक्रेता अंतरसक्रियता (सूचनाओं के आदान-प्रदान और इस्तेमाल करने की क्षमता) आदि भी उपलब्ध कराता है।

b&xouh

एनकेएन ई-गवर्नेंस अधोसंरचना जैसे सरकारी डाटा केंद्रों और नेटवर्क्स के लिए सुपर हाईवे की तरह काम करता है। एनकेएन ई-गवर्नेंस एप्लीकेशंस के लिए जरुरी बड़ी मात्रा ट्रांसफर करने की सुविधा भी देता है।

एनकेएन सेवाएं: इंटरनेट, इंटरानेट, नेटवर्क मैनेजमेंट व्यूम, ई-मेल, मैसेजिंग गेटवेज, कैचिंग गेजवेज, डोमेन नेम सिस्टम, वेब होस्टिंग, वॉयस ओवर आईपी, मल्टी प्वाइंट कंट्रोल

यूनिट (एमसीयू) सर्विसेज, वीडियों पोर्टल्स, एसएमएस गेटवे, को-लोकेशन सर्विसेज, वीडियों स्ट्रीमिंग आदि।

समुदायिक सेवाएं: शोयर्ड स्टोरेज, ई-मेल लिस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन (एलआईएसटीएसईआरवी), ऑथेंटीकेशन सर्विस, ईवीओ, सेशन इनिशिएशन प्रॉटोकॉल (एसआईपी), कोलेब्रेशन सर्विस, कंटेंट डिलिवरी सर्विस, ईयू-भारत ग्रिड के साथ अंतराष्ट्रीय सहयोग, ग्लोबल रिंग नेटवर्क फॉर एडवांस एप्ली केशंस डेवलपमेंट (जीएलओआरआईएडी) आदि।

विशेष सेवाएं : वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क स्टिचिंग सर्विसेज, (वीपीएन/एल2) वर्चुअल प्राइवेट वायर सर्विस/वर्चुअल प्राइवेट लैन सर्विस, (वीपीएन/एल3) आदि।



बिहार में साक्षरता की चुनौतियाँ एवं निदान की रणनीति

; ksxlæ yky nkl

जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत बिहार में निवास करती है, वहीं देश के कुल भूभाग का मात्र 3 प्रतिशत हिस्सा बिहार में है जो प्रतिकूल भूमि-जनसंख्या अनुपात का द्योतक है। भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार होना, बाढ़-सुखाड़ से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, औद्योगिक विकास की अपर्याप्तता, आदि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का उत्तरदायी कारक रहा है। आर्थिक विपन्नता की परिस्थिति/परिवेश स्वाभाविक रूप से सुविधा हीनता/शोषण आदि समस्याओं को जन्म देती है जिसमें जनसामान्य का ध्यान उलझा रहा है। जीवन-जीविका उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और शैक्षिक विकास उनकी, खासकर प्रौढ़ों की प्राथमिकता नहीं बन पायी है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार शिक्षा एवम साक्षरता की दृष्टि से भी बिहार संपूर्ण देश की तुलना में काफी पीछे है। देश के 65 फीसदी लोग साक्षर और 35 फीसदी निरक्षर हैं, जबकि बिहार के केवल 47 फीसदी लोग ही साक्षर हैं। शेष 53 फीसदी लोग निरक्षर हैं। खासकर महिलाओं में केवल एक तिहाई ही साक्षर हैं। शेष दो तिहाई निरक्षर हैं। इस प्रकार असाक्षरों की अधिकता और साक्षरों की संख्या कम होना एक ऐसी मजबूरी है जिसके कारण पर्याप्त संख्या में योग्य स्वयंसेवियों का मिलना कठिन कार्य है।

पुरुष एवं महिलाओं में इस विशाल अन्तराल को पाटने के लिए 2001-2002 में केन्द्र प्रायोजित त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम यहाँ चलाया गया। हाल में वर्ष 2009-10 में मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना के तहत संपूर्ण बिहार में राज्य प्रायोजित महिला साक्षरता कार्यक्रम का संचालन हुआ। इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा अभियान के साथ-साथ कई अन्य प्रोत्साहन योजना केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित किए गए। हर प्रकार से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के तहत साक्षरता, खासकर महिला साक्षरता को बल देने का प्रयास किया गया है। यद्यपि वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों से यह तथ्य प्रकट हो पाएगा कि साक्षरता दर को बढ़ाने में इन हस्तक्षेपों का कितना प्रभाव पड़ा है। अब प्रदेश के सभी जिले केन्द्र प्रायोजित साक्षर भारत मिशन, 2012 के अंतर्गत शामिल किये जा चुके हैं। अतएव साक्षरता की पृष्ठभूमि

में प्रदेश की वर्तमान चुनौतियों पर विहंगम दृष्टि डालना आवश्यक है ताकि निहित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयुक्त रणनीति तलाश भी किया जा सके।

प्रश्न; कि

1. असाक्षरों में शिक्षा-साक्षरता के प्रति ललक पैदा करना: अबतक का अनुभव बताता है कि बिहार में आर्थिक बदहाली से निजात पाना लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आम लोग खासकर गरीब, श्रमजीवी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक, महिलाओं आदि की आवश्यकताओं के सोपान में शिक्षा/साक्षरता संभवतः सबसे नीचे है। इसकी आवश्यकता उन्हें महसूस करानी ही सबसे बड़ी चुनौती है। उनके द्वारा उठाये जाने वाले इस प्रश्न का समुचित हल ढूँढना होगा कि वे क्यों पढ़ें? इसका विश्वासोत्पादक उत्तर देकर ही उनकी उदासीनता समाप्त की जा सकती है और साक्षरता के प्रति ललक पैदा की जा सकती है। पर ऐसा कर पाना आसान नहीं है।

2. स्वयंसेवियों की सही पहचान एवं उत्प्रेरणा: असाक्षरों का एक विशाल वर्ग 15 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग से हैं। उनकी साक्षरता की योजना मूलतः स्वयंसेवा आधारित है। अतएव स्वयंसेवी की सही पहचान और उनकी उत्प्रेरणा अत्यावश्यक है। चूँकि स्वयंसेवियों के समक्ष अक्सर एक उधेड़-बुन की स्थिति रही है कि आखिर केवल प्रौढ़ शिक्षा/साक्षरता में ही और खासकर उन्हीं से क्यों निःस्वार्थ सेवा की अपेक्षा है? अन्य सभी शैक्षिक कार्यों में कर्मियों को अनिवार्य रूप से आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है, किन्तु साक्षरता कार्यक्रम में इसका सर्वाथा अभाव है। साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले स्वयंसेवी अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार समुदाय के लोग होते हैं। अतएव, उन्हें इस सामाजिक कार्य में निःस्वार्थ रूप से सेवा के लिए जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही यह भी कठिन है कि समुदाय के सही-समर्पित व्यक्ति की पहचान की जाए और उनमें ऐसी संवेदनशीलता उत्पन्न की जाए कि वे प्रतिबद्धता के साथ स्वयंसेवी भावना से साक्षर समाज की स्थापना के लिए संकल्पित हो जायें।

3. साक्षरता को सरकार/पंचायत प्रतिनिधि और समुदाय की प्राथमिता में शामिल करना: साक्षर समाज के निर्माण की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक यह सब की आवश्यकता न बन जाए। पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी, समुदाय के शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग, सभी साक्षर समाज के निर्माण के मुहिम से जुड़ जाएँ और साक्षरता की चर्चा हर स्तर पर हो तथा लोगों में इसके प्रति संवेदना पैदा की जाए, यह समय की माँग है। किन्तु यह कार्य अत्यंत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण है।

4. समय से साक्षर भारत कार्यक्रम को लागू करना: साक्षर भारत कार्यक्रम की योजना बनाने, पूर्व तैयारी करने, आदि में एक लम्बा समय बीत चुका है। अब तक सही

मायने में यह धरातल पर नहीं उतरा है। शेष बची अवधि 31 मार्च, 2012 तक की अर्थात् केवल एक वर्ष की है। इस अल्प अवधि में समय से इस बहुआयामी/विविधता युक्त महात्वाकांक्षी योजना को लागू करना और उसे मंजिल तक पहुँचाना आसान काम नहीं है। इसे लागू करने में कतिपय व्यावहारिक कठिनाईयाँ आ सकती हैं, जिनका त्वरित समाधान कर, निर्विघ्न रूप से कार्यक्रम का क्रियान्वयन जारी रखते हुए, वांछित लक्ष्य हासिल करना भी बहुत बड़ी चुनौती है।

5. पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा साक्षरता की योजना को लागू करने की जिम्मेवारी का निर्वहन करना: हाल में जिन पंचायत प्रतिनिधियों को साक्षर भारत कार्यक्रम का नेतृत्व स्वीकार करने हेतु उन्मुख किया गया है, वर्तमान में आसन्न पंचायत चुनाव के कारण उनकी संलग्नता साक्षरता की गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से कम गया है। चुनाव के उपरांत उनमें से अधिकांश की वापसी भी संदिग्ध है और नये प्रतिनिधि के चयनित होने की संभावना है। अतएव, फिर से सबका उन्मुखीकरण, उत्प्रेरण और क्षमतावर्धन किए बिना उनसे नेतृत्व की भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा करना उचित नहीं होगा। कुछ ऐसे भी प्रतिनिधि हो सकते हैं, जिन्हें साक्षर-शिक्षित करना आवश्यक प्रतीत होगा। अतः सक्षम नेतृत्व के लिए हर तरह से उन्हें तैयार करना आसान कार्य नहीं है।

6. साक्षरता/शिक्षा प्रेमियों की साक्षर भारत में सक्रिय भूमिका बनाये रखना: प्रौढ़ शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप में साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत परिवर्तन लाने की अनिवार्यता है। परिवर्तित संगठनात्मक ढाँचे में पूर्व अनुभवी साक्षरता/शिक्षा प्रेमियों, जो वर्षों से भावनात्मक रूप से जुड़कर अपनी संगठनात्मक, प्रेरणात्मक और बौद्धिक सक्षमता से प्रौढ़ शिक्षा को गति देते रहे हैं, उन्हें ससम्मान स्थान देना और उनमें संभाव्य क्षमता का लाभ ले पाना भी एक चुनौती प्रतीत होती है। ऐसा इसलिए कि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं दिखती जिसमें वैसे व्यक्तियों की सेवा बनाए रखने की अनिवार्यता या बाध्यता हो।

7. साक्षर भारत कार्यक्रम के आवश्यकता के अनुरूप राज्य साक्षरता मिशन/राज्य संसाधन केन्द्रों का सुदृढीकरण: साक्षर भारत के विशाल एवं बहुआयामी कार्यक्रमों के अनुरूप अकादमिक/तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक सहयोग-समर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु इन संस्थाओं की क्षमतावर्धन/सुदृढीकरण भी आवश्यक है। समय सीमा एवं सीमित साधन को देखते हुए यह कार्य भी चुनौतीपूर्ण है।

निदान की रणनीति—

1. वातावरण निर्माण: असाक्षरों एवं स्वयंसेवी शिक्षकों को केन्द्रविन्दु मानकर वातावरण निर्माण की गतिविधियाँ संचालित किये जाएं। असाक्षर साक्षरता-शिक्षा को अपने

जीवन के लिए अपरिहार्य मानें और शिक्षित-साक्षर होने के साथ-साथ जो इसमें जीविकोपार्जन की संभावनाएँ व्याप्त हैं, यह संदेश प्रभावी ढंग से उनके बीच प्रेषित हो सके। इसी प्रकार स्वयंसेवकों को राज्य सरकार की प्रोत्साहन की योजना से अवगत कराया जाए। साथ-साथ एक स्वयंसेवक के रूप में अपनी पहचान बनाने, सम्मान पाने और अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्ति की जो संभावना इस कार्यक्रम के तहत है उन्हें उसका एहसास कराया जाय।

2. सही-समर्पित स्वयंसेवियों/कर्मियों की पहचान उत्प्रेरण, एवं क्षमतावर्धन: स्वयंसेवी एवं अन्य साक्षरता कर्मियों के रूप में योग्य, अनुभवी एवं समर्पित साक्षरता कर्मियों तथा उत्साही शिक्षकों, शिक्षाप्रेमियों, अवकाशप्राप्त व्यक्तियों, महिला स्वास्थ्य कर्मियों, व्यवसायियों आदि का चयन, उनका उन्मुखीकरण तथा उन्हें भूमिका आधारित साक्षरता विषयों में प्रशिक्षण किया जाना अत्यावश्यक है।

3. साक्षरता में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करना: साक्षर समाज की अनिवार्यता पर व्यापक बहस स्कूलों/कॉलेजों, अन्य शिक्षण/शोध संस्थानों, में करने के साथ-साथ ग्रामसभा, आमसभा, विधानमंडल, संसद आदि संस्थाओं में भी इसकी चर्चाएँ होनी चाहिए और राजनैतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्रों में भी इसे स्थान मिलना चाहिए ताकि यह परिलक्षित हो कि यह सबकी प्राथमिकता बन गई है।

4. साक्षरता की गतिविधि को लोक परम्परा के साथ जोड़ना: जो बातें लोक परम्परा के साथ जुड़ी हैं, लोगों का उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव होता है। पर्व त्योहार, रीति-रिवाजों के साथ आमलोगों के जीवन में साक्षरता जुड़ जाए, ऐसी चेतना विकसित करने की आवश्यकता है। उदाहरण स्वरूप एक जाति विशेष की पूजा विधि में अपने देवता के समक्ष आय-व्यय का लेखा-जोखा (बजट) प्रस्तुत करने, दवात कलम की पूजा करने की परंपरा है। ऐसी परम्परा की शुरुआत यदि आम बात बन जाए तो यह लोक परम्परा का रूप ले लेगा और सबके हृदय में साक्षर बनने की बलवती भावना उत्पन्न होगी।

5. साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समरूप और व्यावहारिक कार्ययोजना: सम्पूर्ण प्रदेश के लिए एक समान कार्ययोजना, वर्क कैलेण्डर तथा दिशा निर्देश तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है। अन्यथा इस अल्पकालीन साक्षरता परियोजना के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकेगी।

6. विशेष वर्ग के लिए विशिष्ट रणनीति अपनाना: असाक्षर पंचायत प्रतिनिधियों, प्रवासी श्रमिकों, किशोरियों, आदि के लिए प्रतिदिन चार-पाँच घंटे का शिविर आयोजित कर उन्हें साक्षरता प्रदान करने के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण देने की जरूरत है। इससे उनमें साक्षरता के प्रति रुचि पैदा होगी क्योंकि जीवनोपयोगी क्रिया-कलापों के साथ-साथ साक्षरता-शिक्षण का कार्य चलेगा।

7. साक्षरता, सर्वशिक्षा अभियान एवं अन्य विकासात्मक गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करना: साक्षरता के बहुआयामी गतिविधियों के सफल संचालन हेतु सर्वशिक्षा एवं अन्य विकासात्मक विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना इसलिए आवश्यक है कि साक्षरता परियोजना के बाहर जो संसाधन एवं सुविधाएँ उपलब्ध हैं, उनका लाभ साक्षरता कार्यक्रम को तथा उसके लाभार्थियों को सुलभता से मिल सके और समय निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

8. राज्य साक्षरता मिशन एवं राज्य संसाधन केन्द्रों के बीच बेहतर तालमेल: चूँकि जिला स्तर पर साक्षर भारत कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अकादमिक, तकनीकी और प्रशासनिक मार्गदर्शन राज्य स्तर से प्रदान करने की अनिवार्यता है। साक्षरता की व्यापक चुनौतियों को ध्यान में रखकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर एक सशक्त चिंतक/मार्गदर्शक समूह की जरूरत है, जो राज्य साक्षरता मिशन एवं राज्य संसाधन केन्द्र के बीच उचित तालमेल स्थापित कर ही दोनों संस्थाओं की बुद्धिमता, विशेषज्ञता एवं दूरदर्शिता को समन्वित कर किया जा सकता है।

9. प्रभावी अनुश्रवण: साक्षरता कार्यक्रम के ससमय क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सभी गतिविधियों का हर स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण के लिए संगठनात्मक ढाँचा तैयार किया जाय और ठोस रणनीति बनाई जाय, ताकि क्रियान्वयन की खूबियों और कमजोरियों का विश्लेषण कर समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव हो सके।

10. राज्य साक्षरता मिशन/राज्य संसाधन केन्द्र के अवसंरचना एवं अकादमि/कार्यक्रम, कर्मियों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि तथा उनका क्षमता विकास करना होगा ताकि आसन्न कार्यों का ससमय दक्षतापूर्वक निष्पादन संभव हो।

निष्कर्ष:

आवश्यकता इस बात की है कि प्रौढ़ शिक्षा/साक्षरता की योजना को तदर्थ/अल्पावधि परियोजना के रूप में संचालित करने के बजाए निरन्तर चलने वाली स्थायी कार्यक्रम के रूप में संचालित करने की नीतिगत पहल की जाए। साथ ही स्वयंसेवी को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस श्रेणी में वैसे लोगों को भी शामिल की जानी चाहिए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आंशिक प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त कर सेवा-समर्पण की भावना से अपना बहुमूल्य समय देकर साक्षर समाज के निर्माण में अपनी योग्यता, अनुभव और दक्षता का लाभ प्रदान करने के लिए तत्पर हों। निःशुल्क सेवा देने वाले यदि पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों तो इस विकल्प पर संजीदगी से विचार किया जाना चाहिए कि स्वयंसेवक को किसी प्रकार का आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा सके। अन्ततः यह कहना सर्वथा समीचीन होगा कि साक्षरता

की योजना लक्ष्य समूह का, लक्ष्य समूह के लिए, लक्ष्य समूह के द्वारा होनी चाहिए। अर्थात् लक्ष्य समूह (प्रौढ़) की आवश्यकता, अभिरूचि एवं समस्याओं/भिन्नात्मक परिस्थितियों के अनुरूप उनकी सहभागिता एवं सहमति से सूक्ष्मस्तरीय साक्षरता की योजना बनाने एवं क्रियान्वित करने से साक्षर बिहार और साक्षर भारत के निर्माण की परिकल्पना पूरी होगी। परन्तु, व्यावहारिक रूप से ऐसा तभी होगा जब कि उपर से निर्मित योजना को सौंपने के बजाए लक्ष्य समूह (प्रौढ़ों) से यह पूछे/जानें कि वे इस संदर्भ में क्या चाहते हैं? उनके लिए कौन सी परिस्थिति उपयुक्त होगी जिसमें वे साक्षर बन सकेंगे?

यद्यपि साक्षरता की चुनौतियाँ विशाल हैं, किन्तु यदि सोची-सुलझी रणनीति अपनाकर ससमय योजना को सही ढंग से क्रियान्वित किया जाय तो यह संभव है कि वांछित लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा के अंदर काफी हद तक हासिल किया जा सकेगा।



वैश्विक चुनौती बनाम हिंदी भाषी राज्य

i h-, u- fl g

इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करते समय ही वैश्विक हालात अत्यधिक मिश्रित रहे। अगर इसका आकलन वैयक्तिक समृद्धि के अर्थ में किया जाय तो वह उत्साह के साथ एक भयावह स्वरूप भी पेश करता है। वैश्विक आबादी का छठा हिस्सा असामान्य उच्च जीवन-स्तर का मजा ले रहा है तो एक तबका ऐसा उभरा है जो न्यूनतम सुविधाओं के अभाव में जीवन से ही पीछा छुड़ा लेना चाहता है। उभरती अर्थव्यवस्था में एक-तिहाई हिस्सा ऐसा है जिसकी प्रति व्यक्ति आय में द्रुत बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर अभी भी विश्व की लगभग आधी आबादी गरीबी, भुखमरी, बीमारी, निरक्षरता से जद्दोजहद कर रही है। यह दृश्य 20वीं सदी के अंतिम चौथाई के वर्षों का है।

आज बाजार एवं तकनीकी विकास अर्थव्यवस्था की नियति को निर्धारित करते हैं। अर्थव्यवस्था के बड़े खिलाड़ी भी पूर्ण स्थायित्व का दावा नहीं कर सकते। कभी अमरीका, जापान और यूरोप के देश अपनी समृद्धि और विकास के लिए विश्व को आकर्षित करते थे, आज चीन, इंडोनेशिया, भारत जैसे राष्ट्र भी नए खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। इस उलट-फेर को तैयार करने में तकनीक का नित नया एवं तीव्र विकास तथा बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत वैश्विक बाजार का हिस्सा बन गया है। उत्पादन में तकनीक के बढ़ते प्रयोग ने पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी है। पारम्परिक उत्पादन प्रणाली लाभप्रद नहीं रही। वैश्विक बाजार की प्रतियोगिता ने तकनीक/ज्ञान आधारित उत्पादन तंत्र विकसित करने के लिए मानसिक दबाव बढ़ा दिया है। आज ज्ञान/तकनीक संपन्न श्रमशक्ति का निर्माण समय-सापेक्ष मांग बन गई है। अब शिक्षा और हुनर के सवाल को "चिट्ठी बांचने अथवा छोटा-मोटा हिसाब कर लेने" तक सीमित नहीं रखा जा सकता। बेशक, वयस्क शिक्षा को नए संदर्भ में परिभाषित करने तथा रणनीति बनाने की जरूरत है।

यह विडंबना ही है कि भारत पिछले साठ सालों से शिक्षित आबादी तैयार करने के लिए जूझता रहा है, पर आज भी सबको दसवीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सका है। देश की सत्तर प्रतिशत आबादी पारंपरिक अर्थव्यवस्था तथा पारंपरिक उत्पादन प्रणाली में ही अपना अस्तित्व खोजने को मजबूर है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के उन्नत राष्ट्र उत्पादन की तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने देशवासियों को नवीनतम तकनीक से लैस करने वाली वयस्क शिक्षा लागू कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का वयस्क शिक्षा कार्यक्रम निरक्षरों को अक्षर ज्ञान उपलब्ध कराने के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है। हर एक पंचवर्षीय योजना बुनियादी साक्षरता का लक्ष्य तय करती है और उससे अधिक

आबादी को निरक्षर छोड़ बिदा हो जाती है। यह सब तदर्थ शिक्षा नीति की देन है, जबकि होना यह चाहिए कि औपचारिक और वयस्क शिक्षा की एक समेकित नीति बने। साथ ही इसका समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बेशक, बाजार और उत्पादन तकनीक इसको निर्देशित करेंगे, पर भावी चुनौतियों को सामने रखकर नीति निर्धारण आवश्यक होगा।

fgnhHkk"kh {ks=ka dh | eL; k, a

हिंदीभाषी क्षेत्र राष्ट्र के दूसरे हिस्से की तरह चौमुंहाने पर खड़े हैं, पर इनकी अपनी समस्याएं हैं, जो विचार और निदान के स्तर पर जमीनी हकीकत के अनुकूल विशेष कार्य-नीति की मांग करती हैं। यहां शिक्षा कभी भी मुक्ति का आंदोलन नहीं बनी। राजे-महाराजे और जमींदारों के भयानक शोषण के लंबे दौर से निकला हिंदीभाषी समाज "अवतार" की भावना से ग्रस्त रहा है। यहां विखंडित जातियों – उपजातियों का वर्चस्व है। यहां राजनीति विकसित हुई और जातीय उन्मादों पर सवार होकर संसद तक पहुंचती रही है, पर जातीय अस्मिता का सवाल विकास या शिक्षा में तब्दील नहीं हो पाया। अवतार ग्रस्त समाज में उद्यमी के विकास के लिए ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसीलिए हिंदीभाषी क्षेत्रों में उद्यमी से अधिक नौकरी को प्रमुखता दी जाती है। यह पिछड़े समाज का सूचक है।

शिक्षा और विकास के सपने बुनने की जागरूकता के अभाव के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ोतरी होती रही है। सरकारों ने नागरिकों को स्वावलंबी बनाने की जगह "दाता-पाता" की मानसिकता को बढ़ावा दिया। इस दृष्टिकोण के विकास ने पहल लेने की भावना को कुंठित किया है।

हिंदीभाषी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र होने के साथ गरीबी, बेकारी, पलायन, बीमारी, निरक्षरता की समस्या विकराल है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह पीछे है, यहां की सत्तर प्रतिशत आबादी 20 रु. प्रति दिन की आय पर अपना गुजर बसर कर रही है। पूरे देश की तुलना में यहां निरक्षरता और अल्प साक्षरता का साम्राज्य है। यहां की श्रमशक्ति में एक बहुत ही छोटा हिस्सा तकनीकी शिक्षा से संपन्न है। साथ ही बड़े पैमाने पर श्रमशक्ति का पलायन मिट्टी काटने, निर्माण कार्य में सामग्री ढोने, रिक्सा चलाने, खेतों में काम करने जैसे क्षेत्रों में होता है। ये रिसाइक्लिन जैसे खतरनाक कार्यों के लिए सस्ते मजदूर के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं जहां इनके बचाव हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं होता।

j . kuhfr

सर्वप्रथम आबादी, अर्थव्यवस्था और शिक्षा की उपलब्धता का विश्लेषण कर आवश्यकता का

निर्धारण किया जाना चाहिए। इसके मूल में यह देखना होगा कि हम हिंदीभाषी क्षेत्र को बीस वर्षों के अंदर कैसा देखना चाहते हैं। दूसरे क्षेत्रों की तरह हिंदीभाषी क्षेत्रों की आबादी में कई बदलाव आने वाले हैं। 2030 तक हिंदीभाषी क्षेत्र भी, जो युवा है, बूढ़ी आबादी से पटनेवाला है। यहां की अर्थव्यवस्था उत्पादन से अधिक सेवा और अनुदान पर निर्भर है। इसको विकसित स्वरूप देने के लिए तकनीकी एवं ज्ञानवान श्रमशक्ति की आवश्यकता होगी। अगर इसको लेकर समेकित कार्रवाई नहीं की गई, तो भारत भी वैश्विक आर्थिक प्रतियोगिता में ठहर नहीं पाएगा। यहां की विशाल कृषि अर्थव्यवस्था सरप्लस तैयार करने में सफल नहीं हो पाएगी। इसका बुरा प्रभाव खाद्यान्न की उपलब्धता, औद्योगिकीकरण, श्रमशक्ति को रोजगार और सहज नागर समाज विकास पर पड़ेगा। हिंदीभाषी क्षेत्र अपनी स्पंदनशीलता खोकर बिखराव, संघर्ष और अव्यवस्था को जन्म देंगे, जो भारत के लिए अहितकारी होगा।

हिंदीभाषी क्षेत्रों के लिए इसकी आबादी की बनावट, भौगोलिक स्थिति तथा क्षेत्रीय संस्कृति एवं विकास की आवश्यकता को केंद्र में रखकर सात वर्ष की एक समेकित योजना बननी चाहिए जिसके अंतर्गत विकास-कल्याण-शिक्षा सभी में अपेक्षित परिवर्तन हेतु युद्ध स्तर पर लागू करने वाली कार्य योजना होना चाहिए। यह आवश्यक है कि वयस्क शिक्षा के साथ सभी विभाग एवं एजेंसियां अभिसरण करें और नए इंसान के निर्माण को बुनियाद बनाया जाय। यह न केवल निरक्षरता को उन्मूलित करेगा, बल्कि शिक्षा, तकनीकी हुनर, स्वास्थ्य, कल्याण और विकास को नया आयाम देगा।

हिंदीभाषी क्षेत्रों के लिए वयस्क शिक्षा का मकसद न्यूनतम शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ इसके उत्पादक श्रम को हुनरमंद बनाना चाहिए ताकि यहां के लोग अपने पेशे में हस्तक्षेप कर उसे लाभकारी बना सकें। इसके लिए पारंपरिक उत्पादन प्रणाली के साथ नवीनतम तकनीक का सहमेल करना और आवश्यकता के अनुसार तकनीकी संस्थाओं का विकास करना आवश्यक होगा।

हिंदीभाषी क्षेत्रों के लिए एक पृथक कार्यदल का गठन किया जाना चाहिए जो अपने अध्ययन के जरिए आवश्यकताओं की पहचान करे और विस्तृत रपट प्रस्तुत करे।

वयस्क शिक्षा की सभी आनुसंगिक संस्थाओं का एक मंच बनना चाहिए जो जड़ता को तोड़ स्पंदनशील कार्यान्वयन को सुगम बनाए। साथ ही हिंदीभाषी राज्य सरकारों को एक साझा मंच बनाना चाहिए जो प्रगति की समीक्षा करे, अनुभवों एवं संसाधनों की साझेदारी करे। भारत के हृदय-स्थल की मजबूती ही राष्ट्र में नवशक्ति के संचार का 'पावर हाउस' बनेगी।



खण्डवा जिले के सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम का प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन

gd jkt i ky
ekgu Bkdj

प्रत्येक राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रत्येक देश के नागरिक ही देश के भविष्य का निर्माण करते हैं तथा देश को विकास की राह पर ले जाते हैं। परंतु, यह केवल तभी संभव है जब देश का प्रत्येक नागरिक साक्षर हो एवं शिक्षित हो, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जितना अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों एवं अधिकारों को समझ सकता है तथा उनका निर्वाह कर सकता है उतना एक अशिक्षित या निरक्षर व्यक्ति नहीं कर सकता है।

भारत में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, बाल-अपराध जैसी जटिल समस्याएँ फैली हुई हैं। इन सभी समस्याओं का मूल कारण है निरक्षरता। निरक्षरता की इस समस्या को दूर करने के लिये सरकार के द्वारा समय-समय पर कई योजनाएँ भी चलाई गयी। जैसे- पढ़ना-बढ़ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राजीव गांधी शिक्षा मिशन आदि परन्तु फिर भी उन्हें आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इन सभी योजनाओं में आ रही रूकावटों एवं इनकी कमियों को दूर करने के लिये सरकार ने सन् 2002 में एक नवीन कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका नाम "सर्वशिक्षा अभियान" रखा गया। सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा छः वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को सन् 2010 तक उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना था।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्यों में एक उद्देश्य विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि बढ़ाना है। सर्वशिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने से पूर्व चली आ रही योजनाओं की कमियों तथा इनके क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने हेतु शोधकों के द्वारा समय-समय पर कई शोध कार्य किये गये हैं जिनमें प्रौढ शिक्षा के मूल्यांकन से संबंधित भी कई शोध शामिल हैं : सिंह (1970) ने "दो भारतीय गाँवों में साक्षरता का अध्ययन किया" चिकेरमाने (1979) ने "विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिये प्राथमिक औपचारिकतर शिक्षा का अध्ययन किया" नटराजन (1981) ने गिरियक ब्लॉक (पटना) के प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया" दवे (1981) ने "राजस्थान में औपचारिकतर शिक्षा के क्रियान्वयन की स्थिति का सर्वेक्षण किया" देसाई पटेल एवं शाह (1982) ने " गुजरात राज्य के

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन किया”, गुप्ता (1983) ने “मध्यप्रदेश राज्य में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा संचालित औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम (उम्र समूह 09 से 14 वर्ष) का आलोचनात्मक अध्ययन किया,” औलख (1983) ने “राजस्थान में औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन की व्यूह रचना का विकास किया,” गांगुली (1984) ने “विश्वविद्यालयों के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन किया,” त्रिवेदी (1984) ने प्रौढ़ शिक्षा में विरतता का अध्ययन किया, “पाती (1984) ने “नवसाक्षरों की पठन आवश्यकताओं एवं रुचि का विश्लेषण किया ” निम्बालकर (1985) ने “गोवा में चल रहे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया “खजूरिया एवं राही (1985) ने “कुरुक्षेत्र में क्रियान्वित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया” राज्य लक्ष्मी (1986) ने 09-14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिये औपचारिकतर शिक्षा के कुछ पहलुओं का मूल्यांकन किया” पोद्दार (1986) ने “औपचारिकतर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं प्रशासन तथा प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन किया” नानी पन्तुलु (1986) ने 09-14 उम्र समूह के औपचारिकतर शिक्षा के शैक्षणिक पहलुओं का मूल्यांकन किया” मूर्ति (1986) ने आंध्रप्रदेश के प्राथमिक अवस्था के औपचारिकतर शिक्षा केन्द्रों का मूल्यांकन प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया”, यादव (1987) ने “उत्तर प्रदेश में 09-14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिये औपचारिकतर शिक्षा कार्यक्रम का अध्ययन किया,”

उपरोक्त शोध अध्ययनों से यह विदित होता है कि मूल्यांकन के क्षेत्र में हुए शोध अध्ययनों में सर्व शिक्षा अभियान की नामांकन वृद्धि पर कोई शोध कार्य पूर्व में नहीं हो पाया है। इसलिये प्रस्तुत शोध “खण्डवा जिले के सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम का प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन” की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

उद्देश्य

खण्डवा जिले के सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम का प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना।

न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन हेतु खण्डवा जिले में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों की सर्वशिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने से पूर्व के 5 वर्षों तथा सर्वशिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने के बाद के 5 वर्षों की वर्षवार, लिंगवार तथा कक्षावार नामांकन को कार्यालयीन अभिलेख से एकत्र कर समष्टि को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन खण्डवा जिले के सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम का प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन में प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की वर्षवार, लिंगवार तथा कक्षावार नामांकन वृद्धि की जानकारी को एकत्र करने के लिये शोधक के द्वारा नामांकन वृद्धि प्रपत्र

का विकास किया गया जिसमें विद्यार्थियों का वर्षवार नामांकन लिया गया तथा लगातार दो वर्षों के नामांकन के द्वारा विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि निकाली गई।

प्रदत्त संकलन

प्रस्तुत अध्ययन में प्रदत्त संकलन हेतु सर्वप्रथम खण्डवा जिले के सर्वशिक्षा अभियान के केन्द्रीय कार्यालय प्रकोष्ठ में जाकर सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के जिला परियोजना समन्वयक से सम्पर्क स्थापित कर अपने शोधकार्य का उद्देश्य बताकर उनसे प्रदत्त संकलन की अनुमति ली गई। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की नामांकन से संबंधित अभिलेख सर्वशिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने से पूर्व के 5 वर्षों तथा सर्वशिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने के बाद के 5 वर्षों के लिये गये इन्हें वर्षवार, कक्षावार तथा लिंगवार लिया गया।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रदत्त विश्लेषण हेतु प्रतिशत विधि का उपयोग किया गया।

परिणाम एवं विवेचना

प्रस्तुत शोध “खण्डवा जिले के सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम का प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन” में इस शोध के उद्देश्य खण्डवा जिले के सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम का प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि पर प्रभाव का अध्ययन करना, का आकलन करने के लिये सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्ययनरत् प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वशिक्षा अभियान के प्रारंभ होने के पाँच वर्ष पूर्व तथा सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ होने के पाँच वर्ष पश्चात् की वर्षवार, कक्षावार तथा लिंगवार नामांकन वृद्धि को तालिका 1.1 से 1.3 में प्रस्तुत कर विवेचना की गई है।

तालिका 1.1 :- विद्यार्थियों की वर्षवार तथा कक्षावार नामांकन वृद्धि को दर्शाती हुई तालिका

कक्षा पहली		कक्षा दूसरी		कक्षा तीसरी		कक्षा चौथी		कक्षा पांचवी	
वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में
1997-98	14.52	1997-98	9.87	1997-98	9.92%	1997-98	5.44%	1997-98	14.89%
से		से		से		से		से	
1998-99		1998-99		1998-99					
47483-		41943-		45503-		36980-		26654-	
54382		46085		50020		38992		30624	

कक्षा पहली		कक्षा दूसरी		कक्षा तीसरी		कक्षा चौथी		कक्षा पांचवी	
वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में
1998-99 से 1999-2000 54382-41578	-23.54	1998-99 से 1999-2000 46085-38088	-17.35%	1998-99 से 1999-2000 50020-42585	-14.86%	1998-99 से 1999-2000 38992-35206	-9.70%	1998-99 से 1999-2000 30624-25806	-15.73%
1999-2000 से 2000-01 41578-52263	25.69	1999-2000 से 2000-01 38088-45550	19.59	1999-2000 से 2000-01 42585-50538	18.67	1999-2000 से 2000-01 35206-44685	26.92	1999-2000 से 2000-01 25806-31861	23.46
2000-01 से 2001-02 52263-53553	2.46	2000-01 से 2001-02 45550-47629	4.56	2000-01 से 2001-02 50538-47585	-5.84	2000-01 से 2001-02 44685-43402	-2.87	2000-01 से 2001-02 31861-35383	11.05
2001-02 से 2002-03 53553-35640	-33.44	2001-02 से 2002-03 47629-29887	-37.25%	2001-02 से 2002-03 47585-31024	-34.80	2001-02 से 2002-03 43402-28161	-35.11%	2001-02 से 2002-03 35383-23024	-34.92

कक्षा पहली		कक्षा दूसरी		कक्षा तीसरी		कक्षा चौथी		कक्षा पांचवी	
वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में
2002 -03 से 2003 -04 35640- 40546	13.76	2002- 03 से 2003- 04 29887- 30303	1.39%	2002- 03 से 2003- 04 31024- 30199	-2.65	2002- 03 से 2003- 04 28161- 27515	-0.29%	2002- 03 से 2003- 04 23024- 22263	-3.30%
2003 -04 से 2004 -05 40546- 44863	10.64	2003 -04 से 2004 -05 30303- 33434	10.33%	2003 -04 से 2004 -05 30199- 29587	-2.02	2003 -04 से 2004 -05 27515- 26034	-5.38%	2003 -04 से 2004 -05 22263- 21418	-3.79%
2004 -05 से 2005 -06 44863- 44363	-1.11	2004 -05 से 2005 -06 33434- 45085	34.84%	2004 -05 से 2005 -06 29587- 39500	33.50	2004 -05 से 2005 -06 26034- 29657	13.91%	2004 -05 से 2005 -06 21418- 24889	16.20%
2005 -06 से 2006 -07 44363- 51416	15.89	2005 -06 से 2006 -07 45085- 43069	-4.47%	2005 -06 से 2006 -07 39500- 43444	9.98	2005 -06 से 2006 -07 29657- 37852	27.63%	2005 -06 से 2006 -07 24889- 28690	15.27%

तालिका 1.2 :- बालकों की वर्षवार तथा कक्षावार नामांकन वृद्धि को दर्शाती हुई तालिका

कक्षा पहली		कक्षा दूसरी		कक्षा तीसरी		कक्षा चौथी		कक्षा पांचवी	
वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि: में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि: में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि: में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि: में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि: में
1997-98 से 1998-99 25813- 32071	24.24	1997-98 से 1998-99 23812- 25215	5.89	1997-98 से 1998-99 26110- 28645	9.70	1997-98 से 1998-99 21466- 21964	2.31	1997-98 से 1998-99 15816- 17124	8.27
1998-99 से 1999 -2000 32071- 22600	-29.53	1998-99 से 1999 -2000 25215- 20488	-18.74	1998-99 से 1999 -2000 28645- 23532	-17.84	1998-99 से 1999 -2000 21964- 19131	-12.89	1998-99 से 1999 -2000 17124- 14126	-17.50
1999 -2000 से 2000-01 22600- 28458	25.92	1999 -2000 से 2000-01 20488- 24605	20.09	1999 -2000 से 2000-01 23532- 27710	17.75	1999 -2000 से 2000-01 19131- 23850	24.66	1999 -2000 से 2000-01 14126- 17806	26.05
2000-01 से 2001-02 28458- 28511	0.18	2000-01 से 2001-02 24605- 25532	3.76	2000-01 से 2001-02 27710- 26387	-4.77	2000-01 से 2001-02 23850- 23708	-0.59	2000-01 से 2001-02 17806- 20100	12.88

कक्षा पहली		कक्षा दूसरी		कक्षा तीसरी		कक्षा चौथी		कक्षा पांचवी	
वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि: में
2001-02 से 2002-03 28511- 18621	-34.68	2001-02 से 2002-03 25532- 16035	-37.19	2001-02 से 2002-03 26387- 17441	-33.78	2001-02 से 2002-03 23708- 14944	-36.96	2001-02 से 2002-03 20100- 12535	-37.63
2002-03 से 2003-04 18621- 21698	16.52	2002-03 से 2003-04 16035- 16183	0.92	2002-03 से 2003-04 17441- 16549	-5.27	2002-03 से 2003-04 14944- 15203	1.70	2002-03 से 2003-04 12535- 12671	1.08
2003-04 से 2004-05 21698- 23738	9.40	2003-04 से 2004-05 16183- 17952	10.93	2003-04 से 2004-05 16549- 16406	-0.86	2003-04 से 2004-05 15203- 14593	-4.01	2003-04 से 2004-05 12671- 12044	-4.94
2004-05 से 2005-06 23738-	-3.23%	2004-05 से 2005-06 17952- 23909	33.18	2004-05 से 2005-06 16406- 20994	27.96	2004-05 से 2005-06 14593- 16409	12.44	2004-05 से 2005-06 12044- 14229	18.14
2005-06 से 2006-07 22971- 26824	16.77%	2005-06 से 2006-07 23909- 23092	-3.41	2005-06 से 2006-07 20994- 23181	10.41	2005-06 से 2006-07 16409- 20330	23.91	2005-06 से 2006-07 14229- 15910	11.81

स्रोत - जिला शिक्षा केन्द्र एवं राजीव गांधी शिक्षा केन्द्र खण्डवा (म.प्र.)

तालिका 1.3 :- बालिकाओं की वर्षवार तथा कक्षावार नामांकन वृद्धि को दर्शाती हुई तालिका

कक्षा पहली		कक्षा दूसरी		कक्षा तीसरी		कक्षा चौथी		कक्षा पांचवी	
वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि: में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में
1997-98 से 1998-99 21670- 22311	2.95	1997-98 से 1998-99 18131- 20870	15.10	1997-9 से 1998-99 19393- 21375	9.27	1997-98 से 1998-99 15514- 17028	9.75	1997-98 से 1998-99 10838- 13500	24.56
1998-99 से 1999 -2000 22311- 18978	-14.93	1998-99 से 1999 -2000 20870- 17600	-15.66	1998-99 से 1999 -2000 21375- 19053	-10.86	1998-99 से 1999 -2000 17028- 16075	-5.59	1998-99 से 1999 -2000 13500- 11680	-13.48
1999 -2000 से 2000-01 18978- 23805	25.43	1999 -2000 से 2000-01 17600- 20945	19.00	1999 -2000 से 2000-01 19053- 22828	19.81	1999 -2000 से 2000-01 16075- 20826	29.55	1999 -2000 से 2000-01 11680- 14055	20.33
2000-01 से 2001-02 23805- 25042	5.19	2000-01 से 2001-02 20945- 22097	5.50	2000-01 से 2001-02 22828- 21198	-7.14	2000-01 से 2001-02 20826- 19694	-5.43	2000-01 से 2001-02 14055- 15283	8.73
2001-02 से 2002-03 25042- 17019	-32.03	2001-02 से 2002-03 22097- 13852	-37.31	2001-02 से 2002-03 21198- 13553	-36.06	2001-02 से 2002-03 19694- 13217	-32.88	2001-02 से 2002-03 15283- 10489	-31.36

कक्षा पहली		कक्षा दूसरी		कक्षा तीसरी		कक्षा चौथी		कक्षा पांचवी	
वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में	वर्षवार विद्यार्थियों की संख्या	नामांकन वृद्धि% में
2002-03 से 2003-04 17019- 18848	10.74	2002-03 से 2003-04 13852- 4120	1.89	2002-03 से 2003-04 13553- 13650	0.71	2002-03 से 2003-04 13217- 13312	0.75	2002-03 से 2003-04 10489- 9592	9.35
2003-04 से 2004-05 18848- 21125	12.08	2003-04 से 2004-05 14120- 15482	9.64	2003-04 से 2004-05 13650- 13181	-3.43	2003-04 से 2004-05 12312- 11441	-7.07	2003-04 से 2004-05 9592- 9374	-2.27
2004-05 से 2005-06 21125- 21392	1.26	2004-05 से 2005-06 15482- 21176	36.77	2004-05 से 2005-06 13181- 18506	40.39	2004-05 से 2005-06 11441- 13248	15.79	2004-05 से 2005-06 9374- 10660	13.71
2005-06 से 2006-07 21392- 24592	14.95	2005-06 से 2006-07 21176- 19977	-5.66	2005-06 से 2006-07 18506- 20263	9.49	2005-06 से 2006-07 13248- 17522	32.26	2005-06 से 2006-07 10660- 12780	19.88

स्रोत - जिला शिक्षा केन्द्र एवं राजीव गांधी शिक्षा केन्द्र खण्डवा (म.प्र.)

तालिका 1.1, तालिका 1.2 तथा तालिका 1.3 जो कि विद्यार्थियों, बालकों तथा बालिकाओं की वर्षवार एवं कक्षावार नामांकन वृद्धि हो दर्शाती हुई तालिका है, में सर्वशिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष पूर्व के आँकड़ों को देखे तो हम यह पाते हैं कि वर्ष 1998-99 एवं वर्ष 2001-02 से 2002-03 में नामांकन में काफी कमी पायी गयी। नामांकन में यह कमी कक्षा पहली से कक्षा पाँचवीं तक की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों बालकों एवं बालिकाओं में पायी गयी। इन वर्षों में नामांकन में

इस कमी का कारण खण्डवा जिले में डूब प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का पलायन है, इन वर्षों में खण्डवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना के कारण इस जिले के कई ब्लॉक जैसे बलड़ी, हरसूद, खालवा के डूब से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों को खाली करवाया गया जिसके कारण वहाँ रह रहे लोगों का पलायन खण्डवा जिले के अन्य ब्लॉक एवं खण्डवा जिले के बाहर के क्षेत्रों में हो गया। जिससे वहाँ चल रहे कई जनशिक्षा केन्द्र बंद हो गये। बलड़ी ब्लॉक में ही 20 जनशिक्षा केन्द्रों में से मात्र 14 जनशिक्षा केन्द्र रह गये। लोगों के इस प्रकार पलायन करने से विद्यार्थियों की संख्या में भी कमी आयी जिसका प्रभाव विद्यार्थियों के नामांकन पर पड़ा और इन वर्षों में नामांकन दर में कमी आयी।

इसी प्रकार तालिका 1.1 से 1.3 में सर्वशिक्षा अभियान के प्रारंभ होने के पाँच वर्ष बाद के आँकड़ों को देखे तो हम यह पाते हैं कि खण्डवा जिले में सर्वशिक्षा अभियान प्रारंभ होने के बाद से प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के नामांकन दर में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि सर्वशिक्षा अभियान के द्वारा कई नये बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत निर्धन विद्यार्थियों को मुफ्त में पाठ्यपुस्तकों का वितरण, बालिकाओं को मुफ्त में पोशाकों का वितरण, निर्धन बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, बालिकाओं को मुफ्त में साइकिलों का वितरण, नवीन विद्यालय भवनों का निर्माण, पुराने विद्यालय भवनों का नवीनीकरण, विद्यालयों में नये शिक्षकों की भर्ती, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, विद्यालय भवन के समीप ही बालक एवं बालिका छात्रावासों की स्थापना, आर.बी.सी. (रहवासी सेतु पाठ्यक्रम) एवं एन.आर.बी.सी. (अरहवासी सेतु पाठ्यक्रम) केंद्रों की स्थापना आदि कार्य किये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है।

अतः निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि यदि हम खण्डवा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने 5 वर्ष पूर्व तथा सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने के 5 वर्ष पश्चात् के आँकड़ों को ध्यानपूर्वक देखें तो यह पाते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने के पूर्व के 5 वर्षों में विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि में कमी हो रही है, जबकि सर्व शिक्षा अभियान के प्रारम्भ होने के 5 वर्ष पश्चात् प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि में बढ़ोतरी हो रही है जो यह दर्शाता है कि खण्डवा जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चल रही योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों की नामांकन वृद्धि पर पड़ा है।

सन्दर्भ

हिन्दी

1. अग्रवाल, यु.सी. : सर्व शिक्षा अभियान वृहद् लक्ष्य-कमजोर प्रयास, भारतीय आधुनिक शिक्षा वर्ष 22, अंक 3, जनवरी 2004, पृष्ठ 09-14
2. अग्रवाल, बी.बी. : आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएँ, आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर, 1996
3. भाटिया, के.के एवं चट्टा : आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएँ, लुधियाना : प्रकाश ब्रदर्स 1980.

4.सिंह, नरेन्द्र कुमार : प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन, प्राथमिक शिक्षक, वर्ष 29, अंक-1, जनवरी 2004, पृष्ठ 14-19.

अंग्रेजी

1. Buch, M.B. (ed) A Survey of Research in Education. Baroda : Centre of Advanced Study in Education 1974.
 2. Buch, M.B. (ed) Second Survey of Research in Education. Baroda: Society For Educational Research & Development, 1979.
 3. Buch, M.B. (ed) Third Survey of Research in Education . New Delhi: National Council of Educational Research & Training. 1986.
 4. Buch, M.B. (ed) Forth Survey of Research in Education Vol I & Vol II
 5. New Delhi: National Council of Educational Research & Training. 1991.
 6. NCERT : Fifth Survey of Research in Education. Trends Reports Vol.1
 7. New Delhi: National Council of Educational Research & Training 1997.
 8. NCERT : Fifth Survey of Research in Education. Vol.II New Delhi:
 9. National Council of Educational Research & Training 2000.
- Web Site : www.dauniv.ac.in



जिसकी तलाश थी गांव को

?kus o) taxy
o) >ksi fM+ k;
vkj bu >ksi fM+ ka ea
i k&@ o) tu
'k'sk l Hkh
gj xehz ea
dke dh ryk'k ea
xkp l s ckj
fdl h 'kgj ea nLrd nrs
blgha o) ykxka
i gkMka@>ksi fM+ ka
ds chp
i k&+ f' k{k dh
'kkykva l s
Xkrt rh vkok t a
gj 'kke
bl xkp dk
toku@f' kf{kr
cukrh
Kku yq/krh
ns jgh Fkh
jkst & jkst
i xdk' k jk' kuh
ns[krs gh ns[krs
nks rhu ekg ea
, d vthc
ped@ rst
fn[kkbz nus yxk Fkk
bu o)
taxyka@ lkgkMka
vkj o) ktuka ea
f'k{k dk Kku dk
ftl dh o"kkz l s ryk'k Fkh
bl xkp dks

&jke'kdj ppy

घोषणा

फार्म — 4 (नियम 8 के अनुसार)

- | | |
|--|---|
| 1. प्रकाशन का स्थान | 17-बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली — 110002 |
| 2. प्रकाशन की अवधि | मासिक |
| 3. प्रकाशक का नाम
राष्ट्रीयता
पता | डॉ. मदन सिंह
भारतीय
17-बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली — 110002 |
| 4. मुद्रक का नाम
राष्ट्रीयता
पता | डॉ. मदन सिंह
भारतीय
17-बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली — 110002 |
| 5. सम्पादक
राष्ट्रीयता
पता | डॉ. मदन सिंह
भारतीय
17-बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली — 110002 |
| 6. उन व्यक्तियों के नाम व पते
(जो इस पत्रिका के स्वामी/भागीदार हैं) | भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
शफीक मेमोरियल
17-बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली — 110002 |

मैं, डॉ. मदन सिंह एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक: 30/3/2011

हस्त./—
डॉ. मदन सिंह
प्रकाशक

Ensuring Sustainable Drinking Water Security in Rural Areas

The major thrust of the rural water supply programmes is to ensure provision of adequate drinking water supply to the rural communities. Hitherto the role of the government was that of a service provider, with minimum involvement of the community in the planning process and the implementation activities. With the increase in demand due to public aspirations and decrease of availability of safe water it was considered essential to involve the community in the programme.

To achieve this, there was a paradigm shift and the Framework for implementation of National Rural Drinking Water Programme was revised in 2009. The Department appropriately addressed the soft issues related to facilitating the active participation of PRIs in the process of planning, implementation and operation of schemes to achieve the goal of long term sustainability. It also ensured that the community gets continuous support and handholding so that they are empowered to take up the role of planning and implementing the systems also in addition to operating and maintaining them.

Resources for Promoting Sustainability

Under the National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) 20% of the allocation to each state is earmarked for Sustainability component, which is provided as 100% grant-in-aid to States, for taking up various works related to sustainability of drinking water sources and schemes. These include constructing structures to use rainwater for storage and re-charging of drinking water sources.

Delivery Mechanism

The Department of Drinking Water Supply provides policy guidance and financial and technical support to the states with online monitoring through IMIS, State and district level Missions/Committees set up to strengthen the PRIs so that the ultimate objective of empowerment of PRIs in the drinking water and sanitation sector can be realized. For this not only has an appropriate institutional set up been defined, but the Department has even brought out guidelines for effective functioning of these State and district level mission and also laid down the indicators for functioning of village level water and sanitation committee (VWSC).

Institutional setup SWSM

As a step towards achieving coordination and convergence among State

Departments dealing with Rural Drinking Water Supply, Rural Sanitation, School Education, Health, Women and Child Development, Water Resources, Agriculture, etc. a State Water and Sanitation Mission (SWSM) has been set up at the State/ UT level. It is a registered society under the aegis of the Department/ Board/Nigam/ Authority/ Agency, implementing the rural water supply programme in the State. It provides operational flexibility to the States/ UTs, so that the desired thrust is there for an integrated implementation of and institutionalising community participation under the NRDWP and Total Sanitation Campaign (TSC). The SWSM is headed by the Chief Secretary/Additional Chief Secretary/ Development Commissioner with Secretaries of other concerned Departments as members. Experts in the field of Hydrology, IEC, HRD, MIS, Media, NGOs, etc. co-opt as members.

All States have set up a Water and Sanitation Support Organisation (WSSO) under State Water and Sanitation Mission (SWSM), to provide software support to districts and blocks in the areas of Water Quality Monitoring & Surveillance (i.e. Drinking Water Testing Labs) Computerisation projects, Monitoring & Evaluation and IEC & HRD activities, Research & Development activities, etc. These are activities for which 100% funds are provided (as Support Funds) by the Government.

District Water and Sanitation Missions (DWSM) constituted at the district level, functions under the supervision, control and guidance of Zilla Panchayats/Parishads. States which do not have a proper PRI set up in place, as in case of 6th Schedule Areas and desire to supervise the working of the DWSM through alternative mechanism, put in place a suitable body. The DWSM supervises the preparation of the District Water Security Plan and its implementation. All the village water security plans are consolidated and analysed at the district level by the DWSM. At the district level, convergence of all the other related programmes and funding is ensured by the DWSM with some of the major development programmes like the MNREGS, Integrated Watershed Management Programme projects of Dept. of Land Resources, Central and State Finance Commission funds, NRHM, various Watershed and Irrigation schemes of the Ministry of Agriculture, various schemes of the Ministry of Water Resources etc.

The Department has brought out handbooks and manuals to facilitate the involvement of stakeholders including PRIs, training manuals on water security planning and community led Total Sanitation, and a handbook for Gram Panchayats to manage Village Water Supply Schemes, to help communities to plan, implement, operate, maintain and manage drinking water schemes in their areas.

Block Resource Centres

In 2010 the Department decided to put in place a support structure at the Block level to enable sustainability of drinking water supply systems, by

supporting the establishment of Block Resource Centers (BRCs). These centers at the Block level are manned by coordinators with experience in the field of development communication, institution building, training and rural development to give support and continuous handholding to the Gram Panchayats and Village communities to achieve the goal of a sustainable water system maintained by PRIs. As a result of this major initiative a total of nearly 18,000 staff will be available at block levels to support the Gram Panchayats and Village Water and Sanitation Communities.

Capacity BuildingThe importance of continuous professional development in the water supply and sanitation sector needs no emphasis. To assess the knowledge gap Training Needs Assessment workshops have been held in many states and are being planned for rest of the country. Each state identifies the training needs of the professionals, elected representatives and grassroots level workers and chalks out the training calendar for the year so that the training needs are appropriately addressed. The Department after due examination has identified about 25 institutions/ organizations having domain knowledge and expertise in the drinking water and sanitation sector as National Key Resource Centers (KRCs). The National KRCs provide training, orientation and capacity development of engineers, PRI representatives and master trainers at State and District levels. These centers also extend technical guidance to State Communication and Capacity Development Units (CCDU) for IEC and HRD activities.

For taking up all these software activities that are generally neglected the Government has made a provision of 5% Support Funds to the States, from which the States can carry out training and IEC activities, expenditure on DWSMs, BRCs, water quality monitoring and surveillance etc.

The efforts to empower the Gram Panchayats and improve the quality of service delivery of drinking water supply in rural areas through software activities need further vigour. It is expected that with the above steps the country will move towards a more decentralized approach to attain lifeline drinking water security of quality and quantity under all circumstances and at all times. (PIB Features)



हमारे लेखक

एन एस त्यागी
एम पी सिंह
ए ए अंसारी
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान
रूड़की-247667 (उत्तराखंड)

हंसराज पाल
मोहन ठाकुर
आचार्य, शिक्षा संस्थान,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

योगेन्द्र लाल दास
विभागाध्यक्ष, शोध एवं मूल्यांकन
राज्य संसाधन केन्द्र-दीपायतन,
पटना

रामशंकर चंचल
145 गोपाल कालोनी
झाबुआ - 457661
म. प्र.

पी.एन. सिंह
निदेशक,
राज्य संसाधन केंद्र,
आद्री, रांची

Hkkj rh; i k&+ f' k{kk | &k

dk; ðkfj . kh | fefr

अध्यक्ष

प्रो. भवानीशंकर गर्ग

उपाध्यक्ष

श्री सुधीर चटर्जी

श्री ए. एच. खान

डा. एल. राजा

डा. एम. एस. राणावत

सुश्री निशात फारूख

महासचिव

श्री के. सी. चौधरी

कोषाध्यक्ष

डा. मदन सिंह

संयुक्त सचिव

श्री अनोखी लाल भार्गव

सह—सचिव

श्री एस. सी. खण्डेलवाल

डा. पी. ए. रेड्डी

डा. ओ.पी.एम. त्रिपाठी

श्रीमती इन्द्रा पुरोहित

सदस्य

श्री दुर्लभ चेतिया

श्री मृणाल पंत

डा. वी. रेघु

डा. एस. एल. शर्मा

प्रो. के. आर. सुशीले गौडा

श्रीमती राजश्री बिस्वास

प्रो. सरोज गर्ग

सुश्री उषा राय

सहयोजित सदस्य

श्री एच. सी. पारीख

प्रो. एस. वाई. शाह

श्री रामेश्वर नीखरा

श्री प्रफुल्ल नागर

डा. डी. उमा देवी

पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं० डी.एल.(सी)-01/1158/10-12

प्रौढ़ शिक्षा अप्रैल 2011, आर.एन.आई 4551/57



“

My definition of democracy is a form and a method of Government whereby revolutionary changes in the social life are brought about without bloodshed. That is the real test. It is perhaps the severest test.”

B. R. Ambedkar

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए डा. मदन सिंह द्वारा 17-बी आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स-ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली-2 से मुद्रित।

वर्ष 55 अंक 9

ISSN 2231-2439

एक प्रति 10 रुपये
अप्रैल 2011

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र



भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ